





सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP97415132912473T
Certificate Issued Date	: 01-Jul-2021 11:34 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14146104/ DEOBAND/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1414610482840508519193T
Purchased by	: PIYUSH GOEL SO PAWAN KUMAR
Description of Document	: Article 19 Certificate or other Document
Property Description	: FOR TEHRIR YADDAST
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: PIYUSH GOEL SO PAWAN KUMAR
Second Party	: SUDHIR KUMAR SO RAGHURAJ SINGH
Stamp Duty Paid By	: PIYUSH GOEL SO PAWAN KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line



DIP KUMAR SINGH
NOTARY

Gorakhpur

9/7/24
Sowabhu

NOTARY

Gorakhpur

Piyush Goel

NOTARY

Gorakhpur

NOTARY

Gorakhpur

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The use of embossing the embossing on the certificate is invalid.

तहरीर याददाश्त/इकरारनामा माहदा बैय

हम कि सौरभ गोयल व पीयुष गोयल पुत्रगण पवन कुमार निवासीगण
मौहल्ला भुल्लनशाह कस्बा देवबन्द परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

प्रथम-पक्ष

व

सुधीर कुमार पुत्र श्री रघुराज सिंह निवासी ग्राम साखन खुर्द परगना नागल तहसील
देवबन्द जिला सहारनपुर।

द्वितीय-पक्ष।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति/प्लॉट के पूर्ण स्वामी व अधिकारी प्रथम पक्ष बजरिये
दो किता बैनामा संख्या 8820 व 8821 दिनांक 01-09-2015 ई0 से है। जो हर प्रकार
के ऋण आदि के भार/रहन से मुक्त व स्वच्छ है। जायदाद जैल पूर्ण रूप से प्रथम पक्ष
के कब्जे व अधिकार में है जिसके हस्तांतरण आदि करने के प्रथम पक्ष को कुल अधिकार
प्राप्त है। जायदाद जैल की बाबत प्रथम पक्ष ने आज की तारीख से पहले इकरारनामा
माहदा बैय जुबानी या तहरीरी या किसी प्रकार का हस्तांतरण आदि किसी भी दीगर
शख्स के हक में नहीं कर रखा है।



DILIP KUMAR SINGH
NOTARY
Gorakhpur
912129

ह0

Sourabh

ह0

Piyush

ह0

Shri

अतः प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति का सौदा फरोख्ती मुबलिग 26,28,000/- (छब्बीस लाख अठाईस हजार) रुपये जिसके आधे 13,14,000/- (तेरह लाख चौदह हजार) रुपये होते हैं, में आज की तारीख में द्वितीय पक्ष के साथ शरायत जैल पर तय किया है और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से जायदाद निम्नलिखित शरायत जैल पर खरीदनी स्वीकार की है, अतः हम दोनों पक्ष व हमारे स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारी शरायत जैल के पाबन्द रहेंगे।

1 -यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने मुबलिग 50,000/- (पचास हजार) रुपये बतौर ब्याना निम्नलिखित तौर पर द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये और द्वितीय पक्ष ने अदा किये।

2 -यह कि बैनामा रजिस्ट्री आदि का व्यय खरीदार के जिम्मे रहेगा।

3-यह कि मैं द्वितीय पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा मान्य उच्चन्यायालय इलाहाबाद द्वारा सम्पत्ति क्रय करने की अनुमति मिलने के 15 दिन के अन्दर प्रथम पक्ष से बिना किसी उज्र के तहरीर व तकमील करा कर के रजिस्ट्री करा लूंगा और शेष 25,78,000/- (पच्चीस लाख अठत्तर हजार) रुपये समय रजिस्ट्री बैनामा प्रथम पक्ष को अदा कर दूंगा।


4-यह कि मैं प्रथम पक्ष तामियाद इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का किसी भी प्रकार से कोई हस्तांतरण आदि किसी अन्य शख्स के हक में नहीं करेगे और न जायदाद जैल पर कोई सरकारी या गैर सरकारी ऋण लेगे यदि ऐसी कोई कार्यवाही साबित होगी तो वह कुल कार्यवाही बमुकाबले दस्तवेज हाजा नाजायज व झूठी होगी।

5 -यह कि यदि द्वितीय पक्ष ने हस्ब शरायत इकरारनामा हाजा उक्त अवधि तक जायदाद जैल का बैनामा न कराया तो बाद गुजरने मियाद उक्त द्वितीय पक्ष का जरे ब्याना जब्त समझा जायेगा।

6 -यह कि यदि प्रथम पक्ष हस्ब शरायत इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का बैनामा करने से कासिर रहे तो द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह न्यायालय द्वारा तकमील माहदा बैय की कार्यवाही अमल में लाकर जायदाद जैल बैय करा ले और बकाया रकम दाखिल अदालत कर दे, ऐसा करने में जिस कदर भी हर्जा व खर्चा द्वितीय पक्ष का होगा उसको अदा करने की तमाम जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष की जात खास व जायदाद हर किस्म पर होगी।

7-यह कि जायदाद जैल पर कब्जा द्वितीय पक्ष को बरवक्त बैनामा दिया जायेगा।

8-यदि अन्तिम अवधि का कोई अवकाश रहता है तो इस अवकाश के पश्चात जो भी कार्य दिवस होगा वही अन्तिम अवधि होगी।



DILIP KUMAR SINGH
NOTARY
Gorakhpur
213164

ह0 Sundhar

ह0 Rishabh Singh

ह0 [Signature]

अतः यह इकरारनामा माहदा बैय दोनो पक्षों ने अपने अपने स्वस्थ मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के लिख दिया कि प्रमाण रहे इति।
विवरण प्लाट जिसका माहदा बैय किया गया है स्थित :- नूरपुर अन्दर हदूद जैड0ए0 बसन्त विहार कालौनी (लहसवाडा) कस्बा देवबन्द परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

विवरण सम्पत्ति जिसका प्रथम पक्ष ने सौदा साथ द्वितीय पक्ष तय पाया है।

दरोबस्त एक आवासीय प्लाट पूरब मुहाना जिसकी पैमाईश जानिब पूरब 58 फुट व जानिब पश्चिम 58 फुट व जानिब उत्तर 75 फुट व जानिब दक्षिण 75 फुट है जिसका कुल क्षेत्रफल 404.26 वर्ग मीटर यानि 483.32 वर्ग गज है। जिसमे कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है। मय जुमले हक हकूक हर एक प्रकार मुताल्लिका उसके।

महदूदा जैल

पूरब :- रास्ता 20 फुट चौडा

पश्चिम :- भूमि दीगर व्यक्ति

उत्तर :- प्लाट श्रीमति श्रद्धा गोयल

दक्षिण :- मकान चन्द्रभान आदि

हो Sowalwa हो Piyush Goel हो [Signature]

Identified by
[Signature]
9-7-21



साक्षी :- [Signature]
मालिका कुमारी पाठक
सं. 10-1099, देवीपि
सोड, निवासे रस्त, पं० कुशाहा
गोरखपुर

साक्षी :- [Signature]
मनोप कुमारी जोशी
इलाहाबाद निवासे विगत-1
गोरखपुर

Named the Signature/Thumb impression of
[Signature] who signed put his Thumb impression on this
[Signature] before me on this
दिनांक :- 02-07-2021 ई०
and who has admitted the due execution on this
and who has been identified by
[Signature]

DIP KUMAR SINGH
NOTARY
Gorakhpur
[Signature]